477

संख्या– /XVI(1)/14/5(43)/2010 T.C.-2

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,
उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 04 ~~जनवरी~~ मार्च, 2014

विषयः– **वर्ष 2013–14 में उद्यान तकनीकी मिशन एवं अन्य विभागीय योजनाओं में 50 प्रतिशत राज सहायता पर वितरित किये जाने वाले मौनवंशों की दरों को अनुमोदित करने एव क्रय करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–681/एच0डी0एस0–मौ0पा0/2013–14, दिनांक–18 दिसम्बर, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मौनवंश मैलीफेरा 04 फ्रेम का रानी सहित 2000 मौनवंश मै0 जय गंगा मैया ग्रामोद्योग संस्थान रूडकी द्वारा द्वारा रू0 1200 प्रति मौनवंश की दर से क्रय किये जाने एवं कुल व्यय होने वाली धनराशि रू0 24.00 लाख में 50 प्रतिशत अनुदान उपरांत रू0 12.00 लाख विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय क्रय समिति एवं आप द्वारा की गई उक्तानुसार संस्तुति के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मौनवंश मैलीफेरा 04 फ्रेम का रानी सहित 2000 मौनवंश मै0 जय गंगा मैया ग्रामोद्योग संस्थान रूडकी द्वारा द्वारा रू0 1200 प्रति मौनवंश की दर से क्रय किये जाने एवं कुल व्यय होने वाली धनराशि रू0 24.00 लाख का 50 प्रतिशत रू0 12.00(रू0बारह लाख मात्र) लाख विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत व्यय किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :–

1– यह अनुमति वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए दी जा रही है।

2– उक्त अधिप्राप्ति/सामग्री का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में समस्त वित्तीय प्राविधानों/नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जायेगा।

3– निर्धारित समय से पूर्व अधिप्राप्ति/सामग्री के वितरण की जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी की होगी तथा यह प्रयास किया जायेगा कि किसानों को उनके मॉगानुसार उपलब्ध कराया जाय।

4– उपरोक्त अधिप्राप्ति हेतु अंतिम बार ई–टैण्डरिंग में छूट प्रदान की जा रही है। भविष्य में अब किसी प्रकार की छूट किसी भी दशा में प्रदान नहीं की जायेगी। यदि अधिप्राप्तियों के अनुमोदन में ई–टैण्डरिंग को न अपनाये जाने के कारण कोई विलम्ब होता है, तो उसका सम्पूर्ण दायित्व निदेशक, उद्यान का होगा।

5– उक्त अधिप्राप्ति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने से पूर्व निदेशक, उद्यान उक्त अधिप्राप्ति हेतु गत वर्ष का जनपदस्तरीय उपयोगिता प्रमाण पत्र, यदि हो तो, उपलब्ध कराते हुए, इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि गत वर्ष में उक्त अधिप्राप्ति हेतु अनुमोदित सम्बन्धित संस्था द्वारा टेण्डर के समय उपलब्ध कराये गये अधिप्राप्ति नमूना के अनुसार विभाग को आपूर्ति की गई है।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–434/XVI(1)/14/5(43)/2010 T.C.-1तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।

2– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मंगल सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।